



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 06-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2014

दिनांक: 17 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं0-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से स्थानापन्न अधीक्षण अभियन्ता, (जानपद) के पद पर नियुक्त तथा स्तम्भ संख्या-04 के अनुसार निगम को आबण्टित/तैनात किया जाता है:-

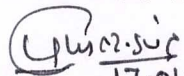
क्र0 सं0	नाम/अभि0 संख्या/गृह जानपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	अधिशासी अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	अधीक्षण अभियन्ता(जानपद) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री नीरज अग्रवाल 8613, हमीरपुर 31.03.2022	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद(पारेषण) खण्ड आगरा	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा
2.	श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा 8614, मिर्जापुर 30.04.2022	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद(वितरण) खण्ड गोमतीनगर लखनऊ	मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ
3.	श्री राजीव सचान (पि0जा0) 8617, कानपुर 28.02.2021	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद (पारेषण) खण्ड बरेली	पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी
4.	श्री संजय कुमार मित्तल 8619, मेरठ 30.11.2020	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद (पारेषण) खण्ड, अलीगढ़	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ
5.	श्री बृजेन्द्र विक्रम सिंह तोमर 8620, फतेहपुर 30.06.2021	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद(पारेषण) खण्ड कानपुर	उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
6.	श्री संजय कुमार जैन 8626, मुजफ्फरनगर 30.06.2022	अधिशासी अभियन्ता (जानपद) विद्युत जानपद(वितरण) खण्ड आगरा	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।


17.01.2014

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर टा०का० लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

Chaitin 17.01

(प्रफुल्ल चन्द्र पन्त)

उप सचिव